Death of Elephants

1940. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the death of a large number of elephants in Kerala-Karnataka-Tamil Nadu border in the North-Westem ghats during the current year;

(b) whether any enquiry in this regard as been conducted; if so, the outcome thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the steps Government propose to take to save the elephants?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir. A total of 42 cases of death of elephants have been reported upto May, 1996 during the current financial year by the States of Kerala, Kamataka and Tamil Nadu from the forests around Kerala-Karnataka-Tamil Nadu border in the North-Western gats.

(b) Yes, Sir. Independent enquiries have been conducted by departmental officers and veterinary officers of the concerned States. The cases fall into the following categories:

(i) Poaching	4 cases
(ii) Natural cases including predation, accidents, senility, diseases, etc.,	38 cases

(c) Does not arise.

(d) The steps taken up by the State Governments to save the elephants include, inter-alia, the following:

(1) A detailed investigation of the cause of gastro intestinal diseases, commonly seen in summer, is being done bv the Veterinary Unit of Wayanad Wildlife Sanctuary.

(2) Steps have been taken up for the habitat improvement in the area including the maintenance of water pools.

(3) Eco-development activities have been taken up to reduce the human-wildlife conflicts.

(4) Anti-poaching activities have been taken up in this area by providing required vehicles, weapons and wireless to the staff.

उर्वरकों पर राज-सहायता

1941. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता की राशि में और वृद्धि करने की हाल ही में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता की कुल राशि कितनी हो जाने का अनुमान है;

(ग) क्या यह सच है कि राज-सहायता की राशि में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप किसानों को विभिन्न प्रकार के उर्वरक वर्तमान मूल्यों की तुलना में सस्ते मूल्यों पर प्राप्त होंगे;

(घ) यदि हां, तो उर्वरकों का उर्वरक किस्म-वार संभावित मूल्य क्या-क्या हो जाने का अनुमान है; और

(ङ) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि से भी उर्वरकों के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; यदि हां, तो देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरक के मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि होगी और उन उर्वरकों के नाम क्या-क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। सरकार ने हाल ही में विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की रियायत की दरों में वृद्धि की है जो निम्नवत् हैः—

(रु० प्रति टन)

	5.7.96 तक	6.7.96 तक
स्वदेशी डाई-अमोनियम फास्फेट	1000	3000
आयातित डाई-अमोनियम फॉस्फेट	—	1500
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	1000	1500
सिंगल सुपर फॉस्फेट	340	500
स्वदेशी मिश्रण	435—999	1304—2633

(ख) सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत उर्वरकों पर सब्सिडी के लिये 6148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 1996-97 में विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देने के लिये 2224 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है और सारे भारतवर्ष में 3320/- रुपये प्रति टन के एक समान मूल्य पर बेचा जा रहा है विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिये, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से उत्पादकों/सप्लायरों के साथ बातचीत करने के बाद किसानों के लिये सबसे उपयुक्त मूल्य तय करने का अनुरोध किया है।

(ङ) जी, हां पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति मीटरी टन के बीच वृद्धि हुई है यूरिया पर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है इसलिये इसका बिक्री मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। विनियंत्रित फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के बिक्री मूल्यों के बारे में राज्यों को विनिर्माताओं के साथ बातचीत करनी होगी तथा तदनुसार कृषक समुदाय के हित को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित करने होंगे।

पशुपालन विभाग में अनियमितताएं

1942. **श्री रामजीलाल:** क्या **पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें उनके विभाग में, विशेष रूप से प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पशुपालन हेतु राज्यों को दी जा रही सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) तथा (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग में किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं बरती जा रही हैं। विभाग अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में व्यवहार्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) पशुपालन के लिये राज्यों को प्रदान की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।